

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st January, 2018

No. 1/2018-Central Tax

G.S.R. 02(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 10 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.8/2017-Central Tax, dated the 27th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 647(E), dated the 27th June, 2017, namely:—

In the said notification, in the opening paragraph,—

- (a) in clause (i), for the words “one per cent.”, the words “half per cent.” shall be substituted;
- (b) in clause (iii), for the words “half per cent. of the turnover”, the words “half per cent. of the turnover of taxable supplies of goods” shall be substituted.

[F. No. 354/320/2017-TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.

Note : The principal notification No. 8/2017-Central Tax, dated the 27th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 647(E), dated the 27th June, 2017 and last amended by Notification No. 46/2017-Central Tax, dated 13th October, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 1287(E), dated the 13th October, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2018

सं. 1/2018-संघ राज्यक्षेत्र कर

सा.का.नि. 03(अ).—केन्द्रीय सरकार, संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 21 के साथ पठित केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 10 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 2/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर, तारीख 27 जून, 2017, सा.का. नि. 648(अ), तारीख 27 जून, 2017, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है यथा :—

उक्त अधिसूचना में, प्रारम्भिक पैराग्राफ में—

- (क) उप-वाक्य (i) में “एक प्रतिशत” शब्दों के स्थान पर “आधा प्रतिशत” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा ;
- (ख) उप-वाक्य (iii) में “आवर्त का आधा प्रतिशत” शब्दों के स्थान पर “वस्तुओं की कर योग्य आपूर्ति के आवर्त का आधा प्रतिशत” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

[फा. सं. 354/320/2017-टीआरयू]

रुचि बिष्ट, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 2/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर, दिनांक 27 जून, 2017, को सा.का.नि. 648(अ), दिनांक 27 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 16/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर, दिनांक 13 अक्टूबर, 2017, जिसे सा.का.नि 1292(अ), दिनांक 13 अक्टूबर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।